प्राथमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा

की

वर्ष 1992-93

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

NIEPA DC
D08966

प्रकाशक :

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़।

ARY & . UMENTATION CENTRE
nal I tute of Educational
nning and Administration,
3, Sri Aurobindo Marg,
Delhi-110016
, No D-8966
Date 9-1-96

प्राथमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा

की

वर्ष 1992-93

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

प्रकाशक :

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़।

Review of the Annual Administrative Report for the Year 1992-93 Primary Education Department :

During the year 1988-89, the school Education Department was reorganised and Primary School Education Department was established separately. During the reporting period 100 New Primary Schools were opened for Girls and 27 Pre-Primary/Balwaries and 5458 Primary Schools were functioning in the State. The total number of students studying at Pre-Primary and Primary Stages were 12399 and 2197117 respectively. The percentage of school going students at Primary stage in the age group of 6—11 was 114.65 for boys and 97.78 for girls. The percentage of Scheduled Caste boys and girls in the age group of 6—11 was 121.75 and 106.97 respectively.

An amount of Rs. 11356.49 lakhs has been spent on Primary Education in the year 1992-93. An amount of Rs. 278.85 lakhs was given as grant to Non-Government Primary Schools.

During the year 1992-93 Rs. 47.40 lakhs were spent to give free stationery to about 474000 scheduled caste and Weaker Section students to encourage them for getting education. To encourage Scheduled Caste girl students, attendance Prizes of Rs. 169.40 lakhs were given to 143116 girls. An amount of Rs. 102.50 lakhs was provided for providing free uniforms to 141425 girl students of Scheduled Casts and Weaker Sections. In order to encourage nomedic tribe students attendence prizes of Rs. 32.36 lakhs were given to 20408 students. Under the operation Black Board Scheme, in 1992-93 a sum of Rs. 258.01 lakhs was sanctioned by Government of India for providing essential facilities to 913 Primary Schools and 2653 Primary Section of Govenment Middle, High and Senior Secondary Schools. Rs. 23.50 lakhs were spent on book banks for providing free Text Books to the students belonging to Scheduled Castes Backward Classes/Weaker Sections.

During the reporting period Smt. Shanti Rathi was the Minister of Education, Shri A. Banerjee, I.A.S. worked as Commissioner and Secretary to Government of Haryana, Education Department and Shri S.S. Kaushal worked as Director of Primary Education in the State.

R. L. SUDHIR

Financial Commissioner & Secretary
to Govt. Haryana, Education Deptt.

प्राथमिक शिक्षा विभाग की वर्ष 1992-93 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा ।

वर्ष 1988-89 में विद्यालय शिक्षा विभाग का पुनर्गठन किया गया । जिसके अन्तर्गत प्राथमिक विभाग अलग से स्थापित किया गया । रिपोर्टाधीन वर्ष में कन्याओं के लिये 100 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गये तथा राज्य में 27 पूर्व प्राथमिक/बालवाडिया तथा 5458 प्राथमिक विद्यालय चल रहे थे । वर्ष 1992-93 में पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल छात्र संख्या क्रमशः 12399 तथा 2197117 थी । प्राथमिक स्तर पर 6-11 आयु वर्ग के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की प्रतिशतता 114.65 तथा छात्राओं की प्रतिशतता 97.78 थी । इसी प्रकार अनुसूचित जाति के 6–11 आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों की प्रतिशतता क्रमशः 121.75 तथा 106.97 थी । वर्ष 1992-93 में प्राथमिक शिक्षा पर 11356.49 लाख रुपये की राशि खर्च की गई ।

अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को वर्ष 1992-93 में 278.85 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई ।

वर्ष 1992–93 में छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति तथा कमजोर वर्ग के 4740000 छात्र/छात्राओं को मुफ्त लेखन सामग्री देने के लिए 47.40 लाख रुपये व्यय किये गये । इसी प्रकार हरिजन छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 141166 छात्राओं को 169.40 लाख रुपये के उपस्थिति पुरस्कार दिये गये । अनुसूचित जाति तथा कमजोर वर्ग की 141425 छात्राओं को 102.50 लाख रुपये की राशि से मुफ्त वर्दी देने की व्यवस्था की गई । खानाबदोश जाति के छात्रों को भी प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 20408 छात्र/छात्राओं को 32.36 लाख रुपये के उपस्थिति पुरस्कार दिये गये ।

वर्ष 1992–93 में आपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के अन्तर्गत 913 प्राथमिक विद्यालयों तथा राजकीय माध्यमिक/उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के साथ संलग्न 2663 प्राथमिक विभागों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये 258.01 लाख रुपये की राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई ।

अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति/कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए बुक बैंकों पर 23.50 लाख रुपये की राशि खर्च की गई ।

रिपोर्टाधीन अवधि में श्रीमती शान्ति राठी, शिक्षा मन्त्री, श्री ए० बैनर्जी आई०ए०एस० वित्तायुक्त एवं सचिव, शिक्षा विभाग तथा श्री एस० एस० कौशल ने निदेशक प्राथमिक शिक्षा के रूप में कार्य किया ।

आर० एल० सुधीर
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार
शिक्षा विभाग, चण्डीगढ़ ।

वर्ष 1992–93 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय–पहला

प्रशासन एवं संगठन

वर्ष 1992-93 में श्री मती शान्ति राठी ने शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला।

सचिवालय स्तर पर

रिपोर्टाधीन अवधि में वित्तायुक्त एवं सचिव, शिक्षा विभाग के पद पर श्री ए0 बैनर्जी, आई.ए.एस. रहे तथा संयुक्त सचिव के पद पर श्री आर0डी0 श्योकन्द, आई.ए.एस. के कार्य किया।

निदेशालय स्तर पर

वर्ष 1988-89 में विद्यालय शिक्षा विभाग का पुर्नगठन किया गया था और हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3/29/80 शि-II (2) दिनांक 8-12-88 द्वारा प्राथमिक शिक्षा विभाग की अलग से स्थापना की गई थी। इसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा विभाग से संबंधित सभी प्रकार का कार्य प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया था। तदानुसार मुख्यालय स्तर पर निदेशालय प्राथमिक शिक्षा और जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना की गई। रिपोर्टाधीन अवधि में श्री एस.एस. कौशल, प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक रहे और निम्नलिखित पदों पर अन्य अधिकारियों ने कार्य सुचारु रुप से चलाने में निदेशक प्राथमिक शिक्षा को सहयोग दिया :–

क्रमांक	पद	पदों की संख्या
1.	संयुक्त निदेशक	1
2.	सहायक निदेशक	3
3.	रजिस्ट्रार शिक्षा	1

जिला स्तर पर

निदेशालय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा विभाग अलग किये जाने पर जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का कार्य अलग किया गया तथा प्रत्येक जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय बनाये गये । प्रत्येक जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किये गये । प्रत्येक जिले में प्राथमिक शिक्षा का विकास, प्रशासन और नियन्त्रण का उत्तरदायित्व इन जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों पर है। जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी अपने जिले की प्राथमिक शिक्षा का विकास करते हैं और राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्य रूप देते हैं।

खण्ड स्तर

प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण तथा प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को 124 शिक्षा खण्डों में बांटा गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने-2 खण्ड में प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने जिले के जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के प्रति उत्तरदायी हैं ।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय

सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबन्ध उनके हैड-टीचर के माध्यम से चलाया जाता है । सभी टीचरस अपने-2 विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी/शिक्षा विभाग के प्रति उत्तरदायी है ।

अराजकीय विद्यालय

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है । ये विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग इन विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुदान

देता है । इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी ही करते हैं ।

शिक्षा पर व्यय

वर्ष 1992-93 में प्राथमिक शिक्षा पर 11356.49 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । इसमें से योजनोत्तर पक्ष पर 9748.08 लाख रुपये तथा योजना पक्ष पर 1608.41 लाख रुपये, जिसमें से 342.25 लाख रुपये केन्द्रीय प्रचालित स्कीम के शामिल हैं, व्यय हुए ।

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान

अराजकीय विद्यालयों में शिक्षा कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार उदारता पूर्वक अनुदान देती है । अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत राज्य सरकार अराजकीय विद्यालयों को उनके घाटे का 75 प्रतिशत तक अनुदान देती है । रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को 93·84 लाख रुपये की राशि अनुरक्षण अनुदान के रूप में दी गई । इसके अतिरिक्त कोठारी अनुदान के अन्तर्गत अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को 150.73 लाख रुपये की राशि दी गई ।

इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अराजकीय विद्यालयों के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता, ग्रेच्यूटी आदि के बकाया के भुगतानार्थ 21·37 लाख रुपये की राशि दी गई । हरियाणा राज्य में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है । अतः अराजकीय विद्यालयों की लड़कियों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए 7·38 लाख रुपये की राशि दी गई ।

इसके अतिरिक्त हरियाणा चाईल्ड वैलफेयर कौंसिल को 142560 रुपये अनुदान के रूप में दिये गये । कैंट बोर्ड/लोकल बाडीज प्राथमिक विद्यालयों को 26 हजार रुपये अनुरक्षण अनुदान तथा 389766 रुपये कोठारी अनुदान के रूप में दिये गये ।

———

अध्याय दूसरा

प्राथमिक शिक्षा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3–6 आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों को दी जाती है। राज्य सरकार में इस समय शिशु शिक्षा के लिए 7 पूर्व प्राथमिक विद्यालय सरकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में समाज के पिछड़े एवं औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों के शिशुओं की देखरेख एवं शिक्षा सुविधा के लिए 20 राजकीय बालबाड़ियां कार्यरत है। रिपोर्टाधीन अवधि में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों/बालवाड़ियों में छात्र संख्या निम्न प्रकार है :—

(क) कुल छात्र संख्या (राजकीय एवं अराजकीय विद्यालय)

	लड़के	लड़कियां	जोड़
राजकीय विद्यालय	3986	3499	7486
मान्यता प्राप्त अराजकीय विद्यालय	2894	2020	4914
कुल	6880	5519	12399
(ख) अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या			
राजकीय	284	297	581
अराजकीय	306	270	576
कुल	590	567	1157

अध्यापकों की संख्या

रिपोर्टाधीन अवधि में पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियों में अध्यापकों की संख्या

(क)	कुल अध्यापक	पुरुष	महिलाएं	जोड़
	विद्यालय अनुसार	19	219	238
	स्तर अनुसार	25	303	328
(ख)	अनुसूचित जातियों के			
	अध्यापक विद्यालय अनुसार	—	—	—
	स्तर अनुसार	—	—	—

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा है । इसे देश के प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध कराने के लिए इसका विस्तार तथा विकास अति आवश्यक है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में इसके विस्तार एवं विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है । इस समय राज्य में प्राथमिक शिक्षा की सुविधायें 99 प्रतिशत ग्रामीण जनता को एक किलोमीटर के अन्दर–2 उपलब्ध हैं । रिपोर्टाधीन अवधि में प्राथमिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

विद्यालयों की संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
सरकारी	4405	843	5248
गैर सरकारी	191	19	210
कुल	4596	862	5458

वर्ष 1992–93 में लड़कियों के लिए 100 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये ।

छात्र संख्या	प्राथमिक स्तर कक्षा 1–5		
कुल छात्र संख्या	1215201	981916	2197117
अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या	245185	204093	449278

6–11 आयु के विद्यालयों में जाने वाले छात्रों की प्रतिशतता

कुल छात्र संख्या प्रतिशतता	114.65	97.78	106.44
अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशतता	121.75	106.97	114 56
अध्यापकों की संख्या	**पुरुष**	**महिलाएं**	**जोड़**
(क) कुल अध्यापकों की संख्या संस्थानुसार	9352	8078	17430
स्तर अनुसार	20252	18881	39133
(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या			
संस्था अनुसार	770	171	941
स्तर अनुसार	1544	472	2016

छात्रवृद्धि अभियान

राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को 10/- रुपये प्रति छात्र लेखन सामग्री के क्रय हेतु वर्ष में एक बार दिये जाते हैं। वर्ष 1992–93 में 474000 छात्र/छात्राओं को मुफ्त लेखन सामग्री प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा 47.40 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। राज्य में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 141166 हरिजन छात्राओं को 169.40 लाख रुपये की राशि 10/- रुपये प्रति छात्रा प्रति मास की दर से उपस्थिति पुरूस्कार के रूप में दी गई। अनुसूचित जाति/कमजोर वर्ग की कक्षा 1— 5 में पढ़ने वाली 141425 छात्राओं को 102.50 लाख रुपये की लागत से मुफत वर्दियां दी गईं। इस स्कीम के अन्तर्गत पहली तथा दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को छः मीटर कपड़ा दो वर्दियों के लिए तथा तीसरी से पांचवी कक्षा की छात्राओं को चार मीटर कपड़ा एक वर्दी के लिए देने की व्यवस्था है। 6–11 वर्ष

की आयु वर्ग के अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालयों में लाने के लिए प्रति वर्ष अप्रैल मास में छात्र संख्या अभियान चलाया जाता है। वर्ष 1992-93 में छात्र नामांकन अभियान के लिए 15 लाख रुपये की बजट में व्यवस्था करवाई गई, जिसमें से 2.50 लाख रुपये नामांकन हेतु रेडियो प्रसारण पर खर्च किये गये। राज्य के सभी शिक्षा खण्डों में एक-2 पंचायत एवं एक-2 विद्यालय जिन्होंने नामांकन के कार्य में उत्कृष्ट कार्य किया को, 5000-5000 रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। जिस पर कुल मिलाकर 12.30 लाख रुपये खर्च किये गये।

घुमन्तु जाति के 20408 बच्चों को 32.36 लाख रुपये उपस्थिति पुरस्कार के रूप में वितरित किये गये।

शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार

सामान्यतः ऐसा होता है कि एक ही कक्षा के कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में तीव्र होते हैं तथा कुछ मन्द होते हैं। अतः विभाग ने यह अनुमति दी है कि यदि कक्षाओं में छात्राओं की संख्या अधिक हो तो कक्षा के अलग-2 सैक्शन बना दिये जायें तथा इन सैक्शनों को इस तरह बनाया जाये कि तीव्र बुद्धि के बच्चे एक सैक्शन में तथा मन्द बुद्धि के बच्चे दूसरे सैक्शन में आ जायें और जिस शिक्षक के पास मन्द बुद्धि के बच्चे हों उसके परिणाम को देखते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि वह कमजोर सैक्शन को पढ़ा रहा है। पहली से पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह परीक्षा नीति अपनाई गई है कि पहली तथा दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल नहीं किया जाए तथा तीसरी, चौथी और पांचवीं कक्षाओं में परिणाम अनुसार कार्यवाही की जाये।

अध्यापकों के नये पद सृजन करना

राज्य में वर्ष 1992-93 में अध्यापकों की जरूरत को देखते हुए 300 जे.बी.टी. अध्यापकों के नये पद सरकार से स्वीकृत करवाये गये।

आदर्श विद्यालय

प्राथमिक विद्यालयों में सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों/खण्ड शिक्षा अधिकारियों को 2-2 प्राथमिक विद्यालय अपनाने तथा उन्हें आदर्श विद्यालय बनाने हेतु कहा गया।

अध्याय–तीसरा

विविध

शाला संगम केन्द्र

प्राथमिक स्तर पर कार्य कर रहे अध्यापकों की व्यवसायिक दक्षता बढ़ाने तथा प्राथमिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा के स्तर को समुन्नत करने के उद्देश्य से शाला संगम योजना चालू की गई थी। इन शाला संगम केन्द्रों में प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक प्रतिमास एक दिन एकत्रित होते हैं तथा इस मासिक बैठक में अध्यापक कक्षा संबंधी अध्यापन समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं। इन बैठकों में खण्ड शिक्षा अधिकारी समय–2 पर भाग लेते हैं।

एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा, गुड़गांव के प्रकाशन, विभाग द्वारा प्राथमिक अध्यापक नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका में प्राथमिक अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक विकास के लिए व्यापक रूप से साहित्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पत्रिका राज्य के प्राथमिक अध्यापकों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। प्राथमिक स्तर के अध्यापक प्रतिमास बैठकों में इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर विचार विमर्श करते हैं, जिसमें बच्चों को रोचक तथा सुगम ढंग से शिक्षा देने का ज्ञान प्राप्त होता है। नई शिक्षा नीति में भी शाला संगम केन्द्रों के कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ तथा प्रभावकारी बनाने की बात की गई है।

आप्रेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम

यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987–88 में लागू की गई थी। इस योजना के चतुर्थ चरण के अन्तर्गत वर्ष 1992–93 में ग्रामीण/शहरी क्षेत्र

के 913 विद्यालयों तथा राजकीय माध्यमिक/उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के साथ संलग्न 2663 प्राथमिक विभाग कवर करने थे । इस योजना का उद्देश्य राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक शिक्षण तथा शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना तथा एक अध्यापकीय विद्यालयों में एक-2 अतिरिक्त अध्यापक का पद देना है । वर्ष 1992-93 में फर्नीचर, पुस्तकालय, पुस्तकें और खेल का सामान आदि उपलब्ध करने के लिए भारत सरकार ने 258.01 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की।

आप्रेशन ब्लैक बोर्ड स्काम के अन्तगत 3869 प्राथमिक विद्यालयों को 500/- रुपये प्रति विद्यालय की दर से आवश्यक साज सामान इत्यादि के रखरखाव के लिए राज्य सरकार द्वारा 19.35 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई ।

बुक बैंक

राज्य में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों तथा कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मुफ्त पुस्तकें उपलब्ध करने हेतु बुक-बैंकों की स्थापना की गई है । इन बुक-बैंकों द्वारा कक्षा एक के विद्यार्थियों के लिए एक वर्ष के लिए तथा कक्षा दो से पांच तक के विद्यार्थियों के लिए दो वर्ष के लिए वापसी आधार पर पाठ्यपुस्तकें दी जाती हैं । वर्ष 1992-93 में बुक-बैंकों पर 23.50 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

समाज उपयोगी उत्पादन कार्य

समाज उपयोगी उत्पाद कार्य शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है । यह विषय नई शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना गया है। वर्ष 1992-93 में 1000 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए 500 रुपये प्रति विद्यालय की दर से सरकार द्वारा 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई ।

राज्य स्तरीय खेल-कूद प्रतियोगिता

वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य स्तरीय खेल-कूद प्रतियोगिता 2-11-92

से 5-11-92 तक फरीदाबाद में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित खेल-खेले गये :—

1. बैडमिन्टन (लड़के एवं लड़कियां)
2. कब्बड्डी (–सम–)
3. खो–खो (–सम–)
4. एथलैटिक्स (–सम–)
5. कुश्तियां
6. सांस्कृतिक कार्यक्रम

इस प्रतियोगिता पर कुल 59, 731 रुपये की राशि स्पोर्टस फण्ड में से व्यय की गई।

विद्यालय समय सारणी में शनिवार के दिन लाइब्रेरी पीरियड रखना।

वर्ष 1992-93 में विद्यालय समय सारणी में शनिवार के दिन लाइब्रेरी पीरियड की व्यवस्था की गई, जिसके तहत विद्यालयों को ये निर्देश दिये गए कि आप्रेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के अधीन उपलब्ध कराई गई/कराई जा रही लाइब्रेरी पुस्तकें बच्चों से अध्ययन करवाई जाये और उन्हें आवश्यकता अनुसार पुस्तकें घर पर पढ़ने के लिए दी जायें। साथ ही जिन चुने हुए विद्यालयों में रीडर क्लबज की स्थापना की गई है, उन्हें ठीक से मेनटेन किया जाये और अधिकाधिक बच्चों को अधि[illegible] की सुविधा प्रदान की जाये ताकि पाठ्य-पुस्तकों के [illegible] रीडिंग की आदत भी हो।

NIEPA DC
D08966

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administ
17-B, Sri Aurobindo Marg
N 6
DOC. D-8966
Date 9-11-96